राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646
व्हाटसएप्प हैल्पलाईन–9887320044

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ दिनांक .06.2018

आदेश

श्री तमोर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति गुर्जर निवासी लंका गेट, झालरापाटन ने इस कार्यालय मे 12 बोर डीबीबीएल शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एंव चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 5505 दिनांक 23.06.2018 से अवगत कराया कि आवेदक मूलतः ग्राम रतनपुरा थाना लहार जिला भिंड मध्यप्रदेश का निवासी है, करीब 3–4 वर्ष से झालरापाटन मे निवास कर रहा है। आवेदक द्वारा लाईसेंस लेने का कारण प्रायवेट गार्ड की नौकरी करना व आत्मरक्षा बताया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे उसकी जान माल की सुरक्षा को खतरा होना प्रतीत होता हो। लाईसेंस लेने का उचित आधार नही होने से लायसेंस दिया जाना उचित नही बताते हुए असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का 12 बोर डीबीबीएल शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

Sd

(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

क्रमांक/आर्म्स/न्याय/2018/ 4649-50 दिनांक 28 .06.2018

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड
2. आवेदक श्री तमोर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति गुर्जर निवासी लंका गेट, झालरापाटन

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

बेटी को मत समझो भार, जीवन का यह आधार।
लड़का–लड़की एक समान, यही संकल्प यही अभियान।

ORDER